

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-12111/ग्यारह-2-21-9(47)/17टी.सी.168-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(223)-2022

लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा तारीख 1 अगस्त, 2021 को ऐसी तारीख नियत करती हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

आज्ञा से



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव